



## ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी हैं। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

1. तैयारी की तारीख: \_\_\_\_\_

ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: \_\_\_\_\_

डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख: \_\_\_\_\_

2. ग्राम का नाम: \_\_\_\_\_

शहर

ग्राम पंचायत का नाम: \_\_\_\_\_

शहर

ब्लॉक का नाम: \_\_\_\_\_

शहर

ज़िला का नाम: \_\_\_\_\_

झारखण्ड

राज्य का नाम: \_\_\_\_\_

झारखण्ड

ग्राम जनगणना कोड: \_\_\_\_\_

३०५०

(यदि लागू हो तो, बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

I. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकांक्षा : ..... (संख्या) मवेशी कुंडों को और ..... (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात ..... घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + वाले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष ..... तक ..... ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना

हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनत्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे।

यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का \_\_\_\_%, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिणामित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

\* पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

II. ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?

(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): \_\_\_\_\_

समिति को क्या कहा जाता है: ग्राम वेष्टेजल स्विट्चिंग समिति - १५७८

अध्यक्ष का नाम: \_\_\_\_\_

मुकुल

लिंग: \_\_\_\_\_

मु

आयु: \_\_\_\_\_

३९

| सदस्य का नाम | लिंग | आयु |
|--------------|------|-----|
| १- युसुफ     | ५०   | ३९  |
| २- श्रीमता   | ८    | ३०  |
| ३- शरीष      | ८    | ३४  |
| ४- नन्ही     | ८    | ५०  |
| ५- कौता      | ८    | ५४  |
| ६- रघुपता    | ८    | ५८  |
| ७- अंगूष्ठ   | ८    | ५८  |
| ८- छुरुल     | ८    | ५८  |
| ९- लुरुल     | ८    | ५०  |
| १०- वरीज     | १    | ३०  |
| ११- डरसान    | १    |     |

### III. सामान्य विवरण

6.

2011 की जनगणना के अनुसार:

जनसंख्या: \_\_\_\_\_  
 परिवारों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 महिलाओं की संख्या: \_\_\_\_\_  
 पुरुषों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 बच्चों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या: \_\_\_\_\_

वर्तमान पंचायत/ आगंनवाड़ी रिकॉर्ड के अनुसार:

वर्तमान जनसंख्या: \_\_\_\_\_  
 परिवारों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 महिलाओं की संख्या: \_\_\_\_\_  
 पुरुषों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 बच्चों की संख्या: \_\_\_\_\_  
 एफ.एच.टी.सी. की संख्या: \_\_\_\_\_

### 7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम चरण  
 -वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): \_\_\_\_\_ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

### 8. वर्तमान मध्यस्थी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): \_\_\_\_\_

### 9. कृषि फसल पैटर्न: रोटी, छारीफ

| प्रमुख कसाने | खरीफ                                | रोटी                                |
|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| गन्ना        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| घान          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| मक्का        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| कपास         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| गेहूँ        | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| अन्य         | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

### 10. औसत जिला वर्षा (मि.मी. में): \_\_\_\_\_

### 11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): 21 अक्टूबर

### IV. स्थिति विश्लेषण

#### 12. क्या संसाधन मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)

(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

#### 13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हाँ/नहीं)

(‘ग्राम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

| क्र. सं. | सार्वजनिक संस्था का नाम | क्या एफ.एच.टी.सी. उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) | क्या वर्षा जल संचयन संरचना उपलब्ध है? (हाँ/नहीं) | सोमाता मझों की उपलब्धता? (हाँ/नहीं) |
|----------|-------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 1.       | स्कूल                   | ✓                                       | ✓  | ✓                                   |
| 2.       | आंगनवाड़ी               | ✓                                       | ✓  | ✓                                   |
| 3.       | स्वास्थ्य केन्द्र       | ✓                                       | ✓  | ✓                                   |
| 4.       | ग्राम पंचायत भवन        | ✓                                       | ✓  | ✓                                   |
| 5.       | अन्य                    | ✓                                       | ✓  | ✓                                   |



### पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की वर्तमान आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 4 के.एल.डी.  
मवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता: 9 के.एल.डी.  
मवेशी कुंडों की आवश्यक संख्या: \_\_\_\_\_  
मध्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: 3 के.एल.डी.  
अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर: \_\_\_\_\_ के.एल.डी.

### पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16. गाँव में पानी की आपूर्ति/उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा/अकाल/घक्कवात/बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न,  
पानी की उपलब्धता की सामान्य प्रवृत्ति:
17. आपातकालीन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेल गाड़ियाँ आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।
18. पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त
19. जल जनित रोगों का इतिवृत्त:
- पानी की गुणवत्ता
20. फ़िल्ड परीक्षण किट / वायल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की चौकसी के लिए अभिनिर्धारित  
तारीख: \_\_\_\_\_
21. सैनिट्री निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख: \_\_\_\_\_
22. जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा/ प्रस्तावित पेयजल स्रोत (स्रोतों) के पानी की गुणवत्ता: स्रोत  
का नाम (अवस्थिति): धूपखण्डक 2022

| मापदंड                  | तरीका              | परिणाम         |
|-------------------------|--------------------|----------------|
| गंदगी                   | इश्य तुलना         | <u>3.5</u>     |
| पीएच                    | पही रंग तुलना      | <u>100-110</u> |
| पूर्ण लवणता             | टिट्रीमेट्रिक विधि | <u>50</u>      |
| पूर्ण क्षारीयता         | टिट्रीमेट्रिक विधि | <u>0.1</u>     |
| क्लोराइड                | टिट्रीमेट्रिक विधि | <u>6.5</u>     |
| अमोनिया                 | इश्य रंग तुलना     | <u>0.2</u>     |
| फास्फेट                 | इश्य रंग तुलना     | <u>3.0</u>     |
| अवशिष्ट क्लोरीन         | इश्य रंग तुलना     | <u>0.1pm</u>   |
| आयरन                    | इश्य रंग तुलना     | <u>0.1pm</u>   |
| नाइट्रोट                | इश्य रंग तुलना     | <u>0.1pm</u>   |
| फ्लोराइड                | इश्य रंग तुलना     | <u>0.1pm</u>   |
| आर्सेनिक (हॉटस्पॉट में) | इश्य रंग तुलना     | <u>0.1pm</u>   |

### कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान

23. यह संभावना है कि गाँव के कुछ ग्रीब इलाकों में कपड़े धोने के लिए और/ या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिनमें कपड़े धोने/ स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं: \_\_\_\_\_

| अवस्थिति का नाम | स्रोत की संख्या | आवश्यकीय |
|-----------------|-----------------|----------|
| _____           | _____           | _____    |

### स्रोत स्थायित्व

24. भू-जल स्रोत के मामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)

25. गाँव में उन भौजूदा जल अंडारों की सूची जिनका कायाकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

### गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 55 के.एल.डी.

अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 3

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 5

आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 7

क्या अपशिष्ट तलछट तालाब की आवश्यकता है? (हाँ/नहीं): \_\_\_\_\_

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: \_\_\_\_\_

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कैन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए? \_\_\_\_\_

### V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल/स्प्रिंग वाटर/ स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त भू-जल वाले गांवों में एस.वी.एस.
- वाटर गिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.
- मिनी सौर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकन्त/आदिवासी बस्तियों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत: \_\_\_\_\_ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन के

आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: \_\_\_\_\_

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: ८८ घ.८८ नेटा

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग को सौंप दी जाएगी: \_\_\_\_\_

योजना की लागत: \_\_\_\_\_ भारत सरकार का हिस्सा: \_\_\_\_\_ राज्य का हिस्सा: \_\_\_\_\_

समुदाय का हिस्सा: \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान:

(वार्षिक प्रचालन व रख-रखाव शुल्क): \_\_\_\_\_ व्यक्तिगत घरेलू मासिक जल शुल्क/

प्रयोक्ता शुल्क: ८० ५० कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.: \_\_\_\_\_

### VI. मेल-जोल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ नियंत्रण मेल-जोल संभव है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

| योजना का नाम                  | केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग | संभावित गतिविधियों जो शुरू की जा सकती हैं                                 | प्रस्तावित नियंत्रण |
|-------------------------------|------------------------------|---|---------------------|
| चौदहवां वित्त आयोग            | ग्राम पंचायत                 | ग्राम-वाटर मैनेजमेंट, इंजेनियरिंग सिस्टम आदि।                             |                     |
| स्वच्छ भारत                   | पर्यावरण और स्वच्छता विभाग,  | ग्राम-वाटर मैनेजमेंट सोखता गड्ढे (व्यक्तिगत / सामुदायिक),                 |                     |
| मिशन - ग्रामीण (एस.वी.एम.-जी) | जल शक्ति मंत्रालय            | अपशिष्ट तलछट तालाब आदि।   |                     |
| एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.          | ग्रामीण विकास मंत्रालय       | प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एन.आर.एस.) घटक के तहत सभी जल संरक्षण गतिविधियाँ |                     |



| योजना का नाम   | केन्द्रीय सरकार का विभाग                             | संबंधित गतिविधियाँ जो युह की जा सकती हैं   | प्रस्तावित निधि |
|--|--|--|-----------------|
| एकीकृत बॉटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)                   | भूमि संसाधन विभाग                                    | वॉटरशेड प्रबंधन/आर.डब्ल्यू.एच./कृत्रिम पुनर्जलन, जल निकायों का निर्माण/दृढ़ि आदि।                            |                 |
| जल अंडारों की मरम्मत, नदीनीकरण और जीर्णादार                            | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग           | बड़े जल अंडारों का जीर्णादार   |                 |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)                             | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण                       | बॉटरशेड से संबंधित कार्य   |                 |
| प्रधानमंत्री कृषि सिवाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)                       | कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय              | जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए महम-सिंचाई का प्रावधान, एकत्रीफसे से जल की निकासी को कम करने के लिए |                 |
| क्षतिपूरक बनीकरण क्रेष्ठ प्रबंधन और आयोजना प्राप्तिकरण                 | पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय             | कृषकरण, जल पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जनन, बॉटरशेड विकास, आदि।   |                 |
| प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)                       | कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय                      | आर.डब्ल्यू.एस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि                          |                 |
| समय शिक्षा   | मानव संसाधन विकास मंत्रालय                           | स्कूलों में पेयजल अपूर्ति का प्रावधान  |                 |
| आकांक्षी जिला कार्यक्रम  | नीति आयोग  | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ                                    |                 |
| जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ)                                       | राज्य  | बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ   |                 |
| एम.पी.एल.ए.डी.   | सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय (एमओएसपीआई) | अंतःग्राम अवसरचना  |                 |
| एम.एल.ए.ए.ए.डी.  | राज्य  | अंतःग्राम अवसरचना  |                 |
| संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान/जनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.) | जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य                  | अंतःग्राम अवसरचना  |                 |
| दलदासाधायोजना  |  |  |                 |

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): \_\_\_\_\_

#### संपर्क विवरण

गाम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्ष: पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. सुनीता — ९०१२२१२४९८
2. ज्यूलिया सरोज — ९३६४५४४३१०
3. नन्ही — ९३६४५४४३१०
4. बिलीता — ७४६५०९२२६६
5. श्रीविलाला —

पप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

① जैदुल श/० युमुफ — ९६३९१५१५४४

② मी० वारीश श/० इ२२११६ — ९०२७४३९३११

भूमिका  
आनंदप्रदान  
बुद्धपाल  
आन-खलीलपुर कददीम  
१०० श० इलेक्ट्रो (नुरादाबाद)